GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2603
TO BE ANSWERED ON 09.03.2026

DISPARITY IN REMUNERATION OF REGULAR AND CONTRACTUAL EMPLOYEES

2603. SHRI RAJEEV RAI:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a)the manner of determining the salary and other allowances for regular employees, class and post-wise and the way to determine the pay and allowances for employees engaged on contract basis performing same work and duties;
(b)the details of the grade-wise number of regular employees and employees engaged on contract basis in each Nav Ratna Company; and
(c)the reasons for discrepancy in the pay and perks of regular employees and contractual employees?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (c): The salaries and allowances of regular employees are determined through different mechanisms depending on the sector of employment. For government employees, pay and allowances are fixed based on the recommendations of Pay Commissions. In Public Sector Enterprises, pay and allowances are determined through Pay Revision Committees. In the private sector, salaries are largely decided through employment contracts, subject to statutory provisions.

In so far as employees engaged on contract basis performing same work and duties as the regular employees are concerned, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules, 1971 [Rule 25(2)(v)(a)], stipulates as under:

"In cases where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishments, the wage

Contd..2/-

rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work;

Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work, the same shall be decided by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central).”

The provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 have now been subsumed under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (OSH&WC Code). Further, the rules under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 have been pre-published.

Details of the number of regular employees and contractual/ casual employees of Navratna CPSEs as per Public Enterprise (PE) Survey 2024-25 is enclosed as Annexure.

*** *******

Annexure

Annexure referred to in reply of Lok Sabha Unstarred Question No. 2603 for 09.03.2026 regarding "Disparity in Remuneration of Regular and Contractual Employees" raised by Hon'ble MP Shri Rajeev Rai.

Number of Employees in Navratna CPSEs as per Public Enterprises Survey 2024-25 (as on 31.3.2025)

S. No.	Cognate Group/ CPSE	Number of Regular Employees	Number of Contractual/ casual Workers	Grand Total
	(1)	(2)	(3)	(2) + (3)
1	ONGC Videsh Ltd	204	1233	1437
2	National Aluminium Company Ltd	4803	61	4864
3	NMDC Ltd	5677	5319	10996
4	Rashtriya Ispat Nigam Ltd	10943	12487	23430
5	National Fertilizers Ltd	2511	3547	6058
6	Rashtriya Chemical and Fertilizers Ltd	2620	2607	5227
7	NHPC Ltd	4577	16	4593
8	NLC India Ltd	9767	20434	30201
9	SJVN Ltd	1070	195	1265
10	Central Warehousing Corporation	1841	0	1841
11	Container Corporation of India Ltd	1256	0	1256
12	Shipping Corporation of India Ltd	448	49	497
13	Engineers India Ltd	2636	3	2639
14	Ircon International Ltd	834	242	1076
15	NBCC (India) Ltd	1164	77	1241
16	Rail Vikas Nigam Ltd	333	577	910
17	RITES Ltd	1793	921	2714
18	Solar Energy Corporation of India Ltd	154	103	257
19	Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.	1338	1401	2739
20	Housing & Urban Development Corporation Ltd.	619	48	667
21	Indian Railway Finance Corporation Ltd.	44	4	48
22	Indian Renewable Energy Devt. Agency Ltd.	166	71	237
23	Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	3031	5	3036
24	Railtel Corporation India Ltd.	567	2073	2640
25	Bharat Electronics Ltd.	8844	11342	20186
26	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	2657	9296	11953

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2603

सोमवार, 09 मार्च, 2026 / 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता

†2603.श्री राजीव राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ग और पदवार वेतन और अन्य भत्तों के निर्धारण की पद्धति तथा समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण की पद्धति क्या है;

(ख) प्रत्येक नव रत्न कंपनी में श्रेणीवार नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अंतर के कारण क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रोजगार के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, वेतन और भत्तों का निर्धारण वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, वेतन और भत्ते वेतन पुनरीक्षण समितियों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में वेतन, वैधानिक प्रावधानों के अध्यधीन, मुख्य रूप से रोजगार अनुबंधों के माध्यम से तय किए जाते हैं।

जहाँ तक नियमित कर्मचारियों के समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियमावली, 1971 [नियम 25(2)(v)(क)], निम्नानुसार निर्धारित करती है:

"जिन मामलों में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार, प्रतिष्ठानों के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों के समान या समरूप कार्य करते हैं, वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उसी या समरूप कार्य पर प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हैं;

जारी..2/-

परंतु कार्य के प्रकार के संबंध में किसी भी असहमति के मामले में, इसका निर्णय उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा किया जाएगा।"

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओ.एस.एच. एंड डब्ल्यू.सी.) संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया गया है।

सार्वजनिक उद्यम (पी.ई.) सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार नवरत्न सी.पी.एस.ई. के नियमित कर्मचारियों और संविदात्मक / अनियत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

*   ******

अनुबंध

'नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता' के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.3.2025 तक की स्थिति के अनुसार) के अनुसार नवरत्न सी.पी.एस.ई. में कर्मचारियों की संख्या।

क्र. सं.	काग्नेट समूह/सी.पी.एस.ई.	नियमित कर्मचारियों की संख्या	संविदात्मक/अनियत कामगारों की संख्या	कुल योग
	(1)	(2)	(3)	(2) + (3)
1	ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड	204	1233	1437
2	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	4803	61	4864
3	एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	5677	5319	10996
4	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	10943	12487	23430
5	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2511	3547	6058
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2620	2607	5227
7	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड	4577	16	4593
8	एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड	9767	20434	30201
9	एस.जे.वी.एन. लिमिटेड	1070	195	1265
10	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	1841	0	1841
11	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1256	0	1256
12	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	448	49	497
13	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2636	3	2639
14	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	834	242	1076
15	एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड	1164	77	1241
16	रेल विकास निगम लिमिटेड	333	577	910
17	राइट्स लिमिटेड	1793	921	2714
18	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	154	103	257
19	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1338	1401	2739
20	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	619	48	667
21	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44	4	48
22	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	166	71	237
23	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3031	5	3036
24	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	567	2073	2640
25	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8844	11342	20186
26	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2657	9296	11953

****